CHETANA
International Journal of Education
(CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

आलेख

Received 20.01.2023 Reviewed 28.01.2023 Accepted 10.03.2023

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयनः चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ

* डॉ. संदीप कुमार सुण्डा

मुख्य शब्द - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राज्यों द्वारा अपनाना, प्रावधान, पद्धति, प्रणाली, समस्याएँ, समाधान आदि.

सारांशः

किसी भी देश की प्रगति के साथ–साथ उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को सबसे महत्त्वपूर्ण आधार माना गया है। देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी से पहले ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने पुरी तरह से भारतीय शिक्षा को नियंत्रित किया। इस दौर में खासतौर से मैकाले द्वारा निर्मित शिक्षा नीतियों ने बाबुओं और नौकरशाहों को तैयार करने में खूब पसीना बहाया। हालांकि बहुत कुछ परिवर्तन भी ब्रिटिशकालीन शिक्षा पद्धतियों से भारतीय समाज में सम्भव हो पाये। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इसकी सफलता क्रियान्वयन करने वाले महकमों से लेकर अन्य सभी हितधारकों के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। इस शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाले प्रमुख चुनौतियों और उनके सम्भावित समाधानों पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पृष्ठभूमिः

भारत द्वारा 2015 में अपनाये गये सतत विकास एजेण्डा 2030 का प्रमुख लक्ष्य ''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढावा देने'' को प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता भारत में महसूस की गयी। इससे पूर्व भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के महत्वपूर्ण कमद प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आदि–आदि समय–समय पर भारत की सत्ताओं द्वारा प्रयास किये जाते रहे है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1968 में कोठारी आयोग 1964–1966 की सिफारिशों के आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गयी। इस नीति में मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए परिवर्तन स्वरूप एक दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्मित की गयी। वर्ष 1986 में देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों के साथ शिक्षा की पहुंच को मजबूत करने और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं (विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगों और अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदि के संदर्भ में) को दूर करने हेतु दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गयी। वर्ष 1992 प्रोग्राम ऑफ एम्सन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आवश्यक संशोधन किये गये जिसके तहत देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एकल प्रवेश परीक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गयी। इस वैज्ञानिक युग में प्रगति की कुंजी नवाचार है। आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में अप्रचलित विचारधाराएं और शिक्षण विधियां काम नहीं करती है। किसी

भी शैक्षिक कार्यक्रम में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। वह किसी भी स्तर पर शैक्षिक प्रक्रिया के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षक की योग्यता छात्र की उपलब्धि के स्तर को प्रभावित करती है। नतीजतन, शिक्षा की गुणवत्ता काफी हद तक शिक्षकों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। कोठारी आयोग ने सही कहा, ''भारत का भागय उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है।'' क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ रही है, आने वाले वर्षों में अच्छी तरह से योग्य ओर पेशेवर रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग बढेगी। नतीजतन, शिक्षक शिखा में सुधार के लिए बहुत अधिक प्रयास किया जाना जरूरी है। शिक्षक शिक्षा सेवा–पूर्व और सेवाकालीन घटकों के साथ एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है जो एक दूसरे के पूरक है। शिक्षकों की तैयारी गुणवत्ता महत्त्वपूर्ण है। शिक्षक अपनी कक्षाओं में परिवर्तनकार शिक्षा सुनिश्चित कर सकते है, जहां शिक्षक और शिक्षार्थी ज्ञान के सह–निर्माता है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच का सभी वर्गों तक सुनिश्चित करने के लिए एवं उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने के लिए शिक्षक शिक्षा प्रणाली में बदलाव की महती आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने हेतु सर्वप्रथम प्रयास जून 2016 स्वर्गीय टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से किया गया। इस समिति की सिफारिशों में कमियों एवं टी.एस.आर. सुब्रह्ममण्यन के निधन हो जाने से एक दूसरी समिति का गठन किया गया। जून 2017 में इसरो वैज्ञानिक, पदम् विभूषण डॉ. कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनः नवीन मसौदा तैयार करने के लिए दूसरी समिति का गठन किया गया। जिसने मानव संसाधन विकास मंत्री के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा 31 मई 2019 को प्रस्तुत किया। सभी प्रक्रियाओं पूर्ण करके अन्ततः तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के समक्ष रखी गयी।

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 27 अध्यायों और 04 भागों में विभक्त किया गया। भाग–1 स्कूल शिक्षा, भाग–2 उच्चतर शिक्षा, भाग–3 अन्य विचारणीय मुद्दे, भाग–4 क्रियान्वयन की रणनीति के रूप में विभक्त करके रखा गया। इस शिक्षा नीति में कुछ आधारभूत स्तंभ के रूप में शब्दों पर अधिक जोर डाला गया। यह नीति पहुँच (Access), समता (Equity), गुणवता (Quality), वहनीयता, (Affordability) और जवाबदेही (Accountability) के आधारभूत शब्द स्तम्भों पर निर्मित की गयी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को पूर्व इसरों प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाना। इसके तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षणिक मॉडल के आधार पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली (क्रमशः 3–8, 8–11,11–14 और 14–18 वर्ष के विद्यार्थियों हेतु) के आधार पर विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अपनाने और आगे की शिक्षा में बधिर विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पाठ्यक्रम सामग्री के विकास और भारतीय सांकेतिक भाषा (इण्डियन साईन लैंगवेज) को पूरो देश में मानकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए विद्यार्थियों में 21वीं सदी से संबंधित कौशलो का, विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही इसके तहत कक्षा 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना तय है। साथ ही तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टीफिसियल इन्टेलेजेन्सी) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने की बात भी मसौदे में रखी गयी है। इस नीति के तहत शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु 'शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (नेशनल प्रोफेशनल स्टेन्डर्डस फॉर टिचर्स) का विकास किया जाना तय है। 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की गयी है। साथ ही देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्चिक मानको बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार अनेको नीतिगत प्रावधानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत देश के सामने रखा गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रमुख लक्ष्य व उद्देश्य

1. प्रत्येक विद्यार्थी की अद्वितीय विशेषताओं को पहचानकर उनका गुणवत्तापूर्ण विकास करना।
2. बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान कक्षा 3 तक के सभी विद्यार्थियों को करवाना।

3. सीखने के तरीकों व कार्यक्रमों के चुनाव में लचीलापन लाना ताकि आगे चलकर जीवन में परिस्थितियों के अनुकूल अपना रास्ता चुन सकें।
4. कला, विज्ञान, वाणिज्य विषयों के बीच, व्यवसायिक व शैक्षणिक धाराओं के बीच और शैक्षणिक व सह–शैक्षणिक गतिविधियों के बीच दूरियों तथा अलगावों को कम करना।
5. बहु–विषकता और समग्र शिक्षा का समावेश करना।
6. अवधारणात्मक अधिगम पर जोर दिया गया।
7. रचनात्मक, तार्किक व आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना।
8. नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के विकास पर बल।
9. बहु–भाविकता तथा भाषा की शक्ति पर जोर दिया गया है।
10. जीवन कौशल विकास।
11. अधिगम के लिए लगातार रचनात्मक मूल्यांकन करना।
12. शिक्षा में तकनीकी का यथासम्भव प्रयोग पर जोर दिया गया।
13. विविधता, पाठ्यक्रम तथा स्थानीय मुद्दों का समावेश पर ध्यान देना।
14. अर्ली चाइल्डहुड केयर एड्यूकेशन से लेकर उच्च शिक्षा तक के पाठ्क्रमों में तालमेल स्थापित करना।
15. शिक्षक व फैकल्टी को सीखने–सीखाने की प्रक्रिया का ह्रदय मानते हुए उनके लिए निरंतर व्यवसायिक विकास करना।
16. लचीला और कठोर नियंत्रण नियमन स्थापित करना ताकि शिक्षा में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठ व संसाधन प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।
17. प्रगति की निरंतर समीक्षा करना।
18. शिक्षा को भारत की जड़ो व गौरव से बांधे रखना।
19. शिक्षा को सार्वजनिक सेवा बनाना।
20. एक मजबूत व सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना आदि आदि लक्ष्यों व उद्देश्यों को भारतीय समाज के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्फत रखे गये है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन

भारतीय मूल्यों से लबरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो भारत को वैश्विक ज्ञान के समुन्द्र में सुपरवार बना सके। साथ ही विद्यार्थियों में मूल कर्तव्यों व संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी समझ, जिम्मेदारियों, देश से जुड़ाव, भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि, कौशल व कुशालता में भी परिर्वतन करके एक इमानदार वैश्विक नागरकि बन सके। फाउण्डेशन साक्षरता और संख्यात्मकता (फण्डामैण्टल लिटरैसी एण्ड न्यूमरैसी) ज्ञान के लिए विद्यार्थियों तक पहुँचाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। सकल नामांकन अनुपात को सत् प्रतिशत करने का भी लक्ष्य 2020 रखा गया है। साथ ही उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य हासिल करना 2035 तक रखा गया है। 2021 तक विद्यालय शिक्षा में कक्षा 6–8 तक 90.6 प्रतिशत सकल नामांकन, 8–10 तक 79.3 प्रतिशत और 10–12 तक यह 56.5 प्रतिशत के रूप में ही लक्ष्य प्राप्त हो सका है जो कि विद्यालय शिक्षा स्तर पर अभी तक कुल 74 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता के आधार

नीतियों के कार्यान्वयन से जुड़े अध्ययनों से पता चलता है कि नीतिगत विफलताओं से बचने में मजबूत साधन, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन तंत्र की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। किसी नीति की असफलता के लिए ब्रिटिश शोधकर्त्ताओ बॉब हडसन, डेविड हंटर और स्टीफन पेकहम ने निम्न चार प्रमुख कारकों को उत्तरदायी बताया है।

- अत्यधिक आशावादी अपेक्षाएं
- बिखरी हुई शासन व्यवस्था में कार्यान्वयन
- नीति निर्धारण में अपर्याप्त सहयोग

- राजनीतिक चक्र की अनियमितता

विशेषज्ञों के अनुसार किसी नीति की असफलता के ये चार कारक इतने व्यापक है कि सामान्य प्रक्रिया से इसे हल करना एक बडी चुनौती है। यदि सरकार किसी नीति को लागू करने के बारे में गंभीर है तो इसके लिए एक मजबूत नीति के रूप में समर्थन कार्यक्रम को विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी नीति की सफलता हेतु उसके कार्यान्वयन की प्रणाली और इस दौरान प्रत्येक बिन्दु पर समस्याओं के समाधान के संदर्भ में एक बेहतर योजना का होना बहुत ही आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्यन और चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल कार्यान्यन हेतु विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी। जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा सहयोग, नये कानूनों का निर्माण या मौजूदा कानूनों में संशोधन सहित अन्य विधायी हस्तक्षेप, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि और नियामकीय सुधार आदि शामिल है। इस नीति के प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम, अवसंरचना, शिक्षण प्रणाली आदि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इन बदलावों को लागू करने के लिए संसाधनों (धन, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, भौतिक संरचना, संसाधन आदि) का प्रबंध एक बड़ी चुनौती होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय हैं ऐसे में इतने अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बहुत से नये विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी। शिक्षा तंत्र और अन्य संसाधनों के मामलों में देश स्तर पर अलग—अलग राज्यों की स्थिति में भारी अंतर पाया गया। वर्ष 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के तहत देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अन्तर पाया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए इन परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढालना बहुत कठिन होगा।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत शिक्षा पर जीडीपी का 06 प्रतिशत खर्च किया जाना तय किया है।
- वस्तुस्थिति, 31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021—22 में जीडीपी का केवल 3.1 प्रतिशत ही आंवटित किया गया, जो तय 6 प्रतिशत से आधा ही है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्रस्तावित जेन्डर उन्मूलन फण्ड का बजट में कोई उल्लेख नहीं ही नहीं है जो चुनौतिपूर्ण है।
- यूनेस्को की स्टेट ऑफ दी एज्यूकेशन रिपोर्ट, 2021 के अनुसार कार्यबल में 10 लाख से अधिक अध्यापकों का अभाव है।
- उच्च शिक्षा में शोध कार्यों हेतु छात्रवृति की व्यवस्था सभी शोधार्थियों के लिए अनिवार्य करना भी बहुत बड़ी चुनौति है।
- शिक्षा पर 2020 की एनएसएसओ रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान ग्रामीण जनसंख्या में से केवल 5 प्रतिशत की ही कम्प्यूटर तक पहुँच है।
- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2020 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और सीबीएसई को सम्मिलित करते हुए एनसीईआरटी के तहत करवाये गये सर्वेक्षण में 27 प्रतिशत विद्यार्थियों ने एन्ड्रोइड मोबाइल और लेपटॉप का अभाव बताया, 28 प्रतिशत ने बिजली न होना व इन्टरनेट कनेक्टिविटी का अभाव, इन्टरनेट की गति धीमी होना समस्याओं का जिक्र किया है।

समाधान और सम्भावनाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये

उच्च शिक्षा सुधार हेतु विशेष कार्य बल की स्थापना

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु बौद्धिक और सामाजिक पूंजी के निर्माण का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु सहयोग के लिए एक विशेष कार्य बल (स्पेशिफिक टास्क फोर्स) की स्थापना की जानी चाहिए ताकि शिक्ष मंत्रालय का यह कार्य एक सलाहकारी निकाय साबित हो सकता है। जिसमें सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (हायर एडयूकेशन इन्सेटीट्यूशन) के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाये। अब यह विशेष कार्य बल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने और निश्चित जवाबदेही के साथ समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में शिक्ष मंत्रालय की सहायता से किया जाये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु स्थायी समिति का निर्माण

इस नीति के सफल कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु एक स्थायी समिति की स्थापना बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। इस समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय शिक्ष मंत्री द्वारा की जाये और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थाओं के कुलपति व निदेशक इस समिति के सदस्य होने चाहिये। अब यह समिति समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्यन योजना को तैयार करे। साथ ही लगातार इसकी निगरानी करने का कार्य भी करे। समिति के पास कुछ विशिष्ट शक्तियों के साथ इसमें विषयगत उप समितियों और क्षेत्रीय समितियों को भी शामिल करके विकेन्द्रीत कार्य पद्धति अपनानी चाहिये। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को लागू करने के दौरान आने वाली चुनौतियों को दूर करने में सहायता करने का कार्य देश स्तर पर किया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री परिषद का गठन

इस परिषद में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल हो तथा परिषद की अध्यक्षता केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाये। यह राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत तंत्र होगा। साथ ही यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा और समस्याओं के निवारण हेतु राज्यो के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में सुधार करना

शिक्षा मंत्रालय द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेन्स (IoEs) की अवधारणा के तहत देश मे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का दृष्टिकोण पेश किया गया था। वर्ष 2016 के बजटीय भाषण के दौरान केन्द्रीय वित्तमंत्री ने भी देश के 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों को विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक नियमकीय बदलाव की बात कहीं थी जिसके बाद देश में IoEs की स्थापना शुरू हुयी। वर्तमान मे IoEs के दृष्टिकोण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 कार्यान्वयन योजना के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है और IoEs को अधिक स्वतंत्रता, स्वायत्तता देने के साथ संसाधनों के मामले में सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधार करने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परोपकारी परिषद का गठन

वर्तमान में देश के 70 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र के है और 70 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में प्रवेश करते है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की पहुँच के विस्तार में निजी शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण रही है। निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन की वित्तीय चुनौतियों और विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली फीस शुल्क संबंधी चुनौतियों को देखते हुए एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना पर विचार किया जा सकता है। यह परिषद संभावित दान–दाताओं को तीन बंदोबस्ती निधियों (उच्च शिक्षा, अवसंरचना, छात्रवृत्ति और शोध अनुदान से संबधित) की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कर प्रणाली में मूलभूत बदलावों को बढ़ावा देने में सहायता कर सकती है।

शिक्षा पर खर्च किये जाने वाले बजट का हिस्सा

वर्ष 1968 में जारी की गयी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 10वां हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। जिसे अगली सभी शिक्षा नीतियों में दोहराया गया लेकिन अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। यह दृष्टिकोण उस तंत्र की नीतिगत असफलता और कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। कोविड–19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आई भारी गिरावट के बीच राज्यों के लिए इन सुधारों को लागू करने हेतु आवश्यक धन एकत्र करना बहुत ही कठिन हो गया। इन परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये ही बजट का विकसित राष्ट्रों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में तय जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय करने की योजना बनाना भी महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।

डिजिटल शिक्षा से सम्बन्धित संसाधनों की उपलब्ता

शिक्षा का डिजिटलाईजेशन तो किया जा रहा है लेकिन साथ ही इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण संसाधनों की उपलब्धता भी होना आवश्यक है। जिसमें निचले स्तर से ही कक्षा कक्षों में तकनीकि उपकरणों की व्यवस्था हो, एन्ड्रोयड मोबाईल, लेपटॉप, कम्प्यूटर, टैबलेट, बिजली और इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

सरकार के लिए किसी भी नीति के कार्यान्वयन में सफलता हेतु प्रोत्साहन, साधन, सूचना, अनुकूलनशीलता, विश्वसनीयता और प्रबंधन जैसे तत्वों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु सरकार को पारदर्शी कार्यप्रणाली और सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से विश्वसनीयता बढ़ानी होगी। साथ ही प्रबंधन के प्रभावी सिद्धान्तों को विकसित करना होगा। सरकार को कानूनी, नीतिगत नियामकीय और संस्थागत सुधारों को अपनाने के साथ एक विश्वसनीय सूचना तंत्र का निर्माण, नियामक संस्थाओं, सरकारी एजेन्सियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अनुकूलनशीलता के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा।

Corresponding Author

*** डॉ. संदीप कुमार सुण्डा,** सहायक आचार्य
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
Email-sandeepsunda123@gmail.com, Mobile- 9887799735